

26/07/24

अधिवक्तागण उर्फ। वादी अधिवक्ता
 को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पूर्व में
 पर्याप्त अवसर दिये जाकर दिनांक
 08.05.24 को ऑर्डर 9 नियम 5
 सीपीसी के तहत कार्यवाही करने की
 दिशागत की गई। परंतु वादी अधिवक्ता
 ने प्रतिवादीगण की तलबी आदिनांक तक
 नहीं कराई है अतः प्रकरण में
 ऑर्डर 9 नियम 5 CPC के तहत कार्यवाही
 की जाकर प्रकरण वर्तमान स्तर पर
 खारिज किया जाय है फारसी नस्बे
 है। फारसी द्वारा पोलिस के कृते
 की जाकर निजिय की तलबी में खारिज
 है।

